उपसंहार

उपसंहार

"कोल्हापुर दूरसंचार में हिंदी का प्रयोगःस्वरूप, समस्याएँ एवं समाधान" के अध्ययन के पश्चात निष्कर्ष के रूप में जो तथ्य सामने आए हैं उनका समग्र मूल्यांकन इस प्रकार है-

राजभाषा हिंदी : वैधानिक प्रावधान का विवेचन

२६ जनवरी, १९५० को संविधान देश के लिए लागू हुआ। इतिहास में पहली बार हिंदी को तथा शतकों बाद विदेशी भाषाओं(फारसी और अंग्रेजी) के स्थान पर इस देश की किसी भाषा को, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान-निकोबार, दिल्ली आदि भारत के विशाल भू-भाग की मातृभाषा हिंदी, सदियों से इस देश की आंतर-राज्यीय भाषा अर्थात संपर्क भाषा रही है। संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश के पश्चात वह अपनेआप संपर्क भाषा का स्थान ग्रहण करती चली गई। इससे वह अधिकांश जनता की भाषा बन गई और स्वतंत्रता संग्राम में देश की संपूर्ण स्वतंत्रता की अभिलाषा उसी के स्वर में मुखरित हो उठी। इसी कारण स्वतंत्रता के पश्चात वह राजभाषा पद की अधिकारिणी बन गई। हिंदी ही एक मात्र ऐसी भारतीय भाषा है, जो भारत के बाहर जहाँ-जहाँ भारतीय गए वहाँ-वहाँ पहुँच गई।

हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने के पश्चात संविधान के शिल्पकारों ने संविधान में उसके लिए अनेक प्रवधान किए। किंतु इन प्रावधानों में से हिंदी के पक्ष में कोई प्रावधान नहीं है, जिससे हिंदी को राजभाषा पद प्राप्त होना मृगमरिचिका ही प्रतीत होता है। हिंदी का संपर्क भाषा अर्थात राष्ट्रभाषा रूप उत्तरोत्तर निखर रहा है, किंतु उसे राजभाषा घोषित करना मात्र एक ढोंग लगता है। इस देश की आसेतू-हिमाचल जनता संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को ही उपयुक्त मानती है। किंतु सविधान में राजभाषा के लिए किए गए प्रावधानों का अध्ययन करने के पश्चात स्पष्ट होता है कि संविधान के अनुच्छेद ३४३ की धारा (१) के द्वारा "संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी" की घोषणा की गई है। किंतु इसी अनुच्छेद की धारा (३) द्वारा संविधान को लागू होकर १५ वर्ष बीतने के पश्चात भी विधि द्वारा राष्ट्रपति को अंग्रेजी के प्रयोग को कायम रखने की व्यवस्था की गई है। पर्याय से अंग्रेजी के निर्बाध प्रयोग की व्यवस्था की गई है। इससे बाद में कितने भी नियम या अधिनियम बनाए गए या बनाए जाए सब व्यर्थ है। इस प्रकार संविधान ने अनुच्छेद ३४३ की तीसरी धारा द्वारा उस पद के

सारे अधिकार छीन लिए। इसका परिणाम यह हो गया है कि हिंदी को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। राजभाषा अधिनियम धारा ३(३) के अंतर्गत संकल्प, निविदा-सूचना, अनुज्ञाप्तियाँ, करार, संविदा आदि कागजात अनिवार्यतः हिंदी-अंग्रेजी दोनों में जारी करने का आदेश होकर भी उसका भी कोई परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है। इसी कारण सन १९९९-२००० में "हिंदी स्वर्ण जयंती वर्ष" मनाने के पश्चात भी चारोंओर हिंदी-कार्यान्वयन को कोई विशेष गति मिली है, यह नजर नहीं आता।

कोल्हापुर दूरसंचार में राजभाषा हिंदी का प्रयोग : स्वरूपगत विवेचन

कोल्हापुर दूरसंचार ही नहीं बहुत सारे सरकारी कार्यालयों में हिंदी-कार्यान्वयन का चित्र एक-सा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कोल्हापुर दूरसंचार में हिंदी-अनुभाग का आरंभ जुलाई, १९९० से हो गया है। करीबन ११ साल पहले हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से हिंदी-अनुभाग खोला गया है। तब से आज तक हिंदी-पखवाड़ा, हिंदी पुस्तकालय, हिंदी गृहपत्रिका का प्रकाशन, हिंदी स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन आदि उपक्रमों का आयोजन नियमित रूप से होता है। द्विभाषी प्रारूपों, हिंदी टंकण एवं प्राज्ञ प्रशिक्षण आदि नियमों के पालन के मामलों में कोल्हापुर दूरसंचार की स्थिति मध्यम कोटि की है, किंतु हिंदी पत्राचार के संबंध में मात्र १० से २० प्रतिशत का पत्राचार कोल्हापुर दूरसंचार की स्थिति निम्न स्तर की है, इस बात की ओर दिशानिर्देश करता है।

वास्तव में हिंदी-पत्राचार ही राजभाषा विषयक नीति की नींव है। क्योंकि हिंदी-पत्राचार बढ़ाने से ही सही अर्थ में प्रशासन में हिंदी का प्रयोग होगा। बाकी सब-हिंदी पखवाड़ा मनाना, प्राज्ञ-टंकण प्रशिक्षण, हिंदी पुस्तकालय, हिंदी स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन आदि सारी बातें कम महत्त्व की हैं। इन कार्यक्रमों का आयोजन करने के पीछे मात्र उद्देश्य यही है कि सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को हिंदी में रूचि निर्माण हो और पुरस्कारों एवं वेतनवृद्धि की अभिलाषा से क्यों न हो वे हिंदी की ओर अपने कदम बढ़ाए। इन कार्यक्रमों की खानापूर्ति की जाती है। परंतु आज कोल्हापुर दूरसंचार ही नहीं तो देश के सभी सरकारी कार्यालयों को हिंदी में पत्राचार बढ़ाने की महत्त्वपूर्ण नीति उपेक्षित न रहे, इस बात के प्रति अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

हिंदी-कार्यान्वयन में आनेवाली विभिन्न समस्याएँ :

हिंदी-कार्यान्वयन में आनेवाली विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के पश्चात मैं इस निष्कर्ष तक पहुँच चुकी हूँ कि राजभाषा के रूप में हिंदी की उपेक्षा की जाती है। क्योंकि वर्षों से जिस भाषा का अभ्यास हो चुका है, उस अंग्रेजी को हटाकर उसके स्थान पर हिंदी को स्थापित करना है तो अधिक कष्ट उठाने पडेंगे। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वह कम प्रयास में अधिक लाभ चाहता है। वह ऐसे ही परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार करता है जिसमें उसे अधिक कष्ट नहीं उठाने पडते। अतः अंग्रेजी की आदत से मजबूर लोग हिंदी के प्रयोग को टालने के लिए अनेक बहानों की आड लेते हैं। किंतु यह भी सत्य है कि संविधान ने हिंदी के पक्ष में कोई ठोस प्रावधान नहीं किए हैं। इसके विपरीत अंग्रेजी के प्रयोग को अतिरिक्त बढ़ावा दिया है। हमारे देश में भाषा राजनीति का शिकार हो गई है। तमिलनाडू में हिंदी का विरोध यह राजकीय विरोध ही है। शोधार्थी का यह अनुभव है कि वहाँ की आम जनता चाहती है कि पाठशालाओं में हिंदी पढ़ाई जाय। वे भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का जो महत्त्व है उसे अनुभव करते हैं। आम जनता साफ-साफ कहती है कि यहाँ हिंदी को मात्र राजकीय विरोध है। हम हिंदी चाहते हैं। फिर भी इस राजकीय विरोध के कारण ही गृह-मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से प्रकाशित की जानेवाली हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम-पुस्तिका में "ग" क्षेत्र के लिए हिंदी-कार्यान्वयन का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह तमिलनाडु को लागू नहीं है। भारत संघ की राजभाषा हिंदी उसी संघ के ही एक राज्य, तमिलनाडु के लिए लागू नहीं है। अतः भाषा को राजनीति का मोहरा बनाने के कारण उसके कार्यान्वयन में समस्या ही समस्याएँ निर्माण हो जाती हैं।

हिंदी-कार्यान्वयन में आनेवाली विभिन्न समस्याओं का विवेचन करने के पश्चात दृष्टिगोचर होता है कि इनमें से कुछ कारण सचमुच ठोस कारण हैं। किंतु कुछ कारण जो हैं, वे मात्र हिंदी कामकाज टालने के लिए की गई बहानेबाजी है। राजभाषा हिंदी की उपेक्षा करने की वृत्ति संविधान से लेकर सामान्य जनों तक फैली है। राजभाषा में काम करें या ना करें कोई ठोस बंधन ही नहीं।

हिंदी-कार्यान्वयन में आनेवाली विभिन्न समस्याओं में वैधानिक प्रावधान में स्थित विसंगतियाँ, सरकारी नीतियों में स्थित खोखलापन, अंग्रेजी शिक्षा-माध्यम तथा तकनीकी समस्याएँ महत्त्वपूर्ण हैं। इन समस्याओं की ओर ध्यान देकर इनके स्थाई समाधान खोजने चाहिए। अधिकारी एवं

कर्मचारियों की हिंदी विरोधी मानसिकता के पीछे जो कारण हैं, वे अधिकतर खोखले हैं। हिंदी विरोधी मानसिकता के पीछे सबसे शक्तिशाली कारण है-राष्ट्रभाषाभिमान तथा अपराध बोध का अभाव। जब राष्ट्रभाषा का विरोध करना अपराध है, इस भावना का बोध जागृत हो जाएगा, तब लोग हिंदी का विरोध करते हुए शरमाएंगे। उन्हें हिंदी नहीं आती इस बात का अभिमान नहीं होगा और वे हिंदी सीखने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे। सिद्धांततः सही है कि जहाँ चाह, वहाँ राह। जब शिक्षित देशवासियों के मन में हिंदी को राजभाषा बनाने की तीव्र चाहत जगेगी तब अधिकांश समस्याओं के हल अपनेआप निकल आएंगे। किंतु उस दिन का उदय होने तक हिंदी नाम के लिए राजभाषा रहेगी और असली सत्ता अंग्रेजी के हाथ में ही रहेगी।

हिंदी-प्रयोग की समस्याओं के समाधान :

अगर उपर्युक्त अध्याय में हिंदी-कार्यान्वयन के समस्याओं को उजागर किया हैं, तो उन समस्याओं के समाधान ढूँढ़ने के प्रयास होना आवश्यक है। हिंदी-कार्यान्वयन में आनेवाली सबसे बड़ी समस्या राष्ट्रभाषा का अभिमान न होना, यही है। अतः अनेक समस्याओं का रामबाण इलाज राष्ट्रभाषाभिमान की जागृति ही है। राजभाषा का विरोध करते समय लोगों में अपराध बोध का अभाव है। इस जड़ पर प्रहार करने से हिंदी विरोध का वृक्ष समूल उखड़कर गिर जाएगा। इससे समस्याओं के जो अन्य समाधान बताएँ हैं, उनमें से-कार्यान्वयन न करने पर दंड विधान की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। हिंदीकरण के फायदों से अवगत कराना, सतर्कता न बरतने पर होनेवाली स्थिति से अवगत कराना आदि समाधानों का प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः आज जो कार्यालयों में काम करते हैं, उन अधिकारी और कर्मचारियों में राजभाषाभिमान की जागृति करनी चाहिए। किंतु नई पीढ़ी को १ली कक्षा से ही राजभाषा का अभ्यास कराते हुए बचपन से ही उन पर राजभाषाभिमान के संस्कार करने होंगे। इसके लिए शिक्षा के ढाँचे में परिवर्तन की आवश्यकता है। स्नातक-स्नातकोत्तर पढ़ाई में भी हिंदी विषय अनिवार्य करना चाहिए। ताकि अगली पीढ़ी हिंदी का पूर्ण प्रशिक्षण पाकर ही विधि, शिक्षा तथा प्रशासन में उतरे। उन्हें बाद में कार्यालयों में प्रवीण, प्राज्ञ जैसे प्रशिक्षण देने की आवश्यकता न रहे।

राष्ट्रभाषाभिमान की जागृति के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों में सुधार और सरकारी नीतियों को ठोस बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। संविधान ने ही हिंदी को राजभाषा का पद देकर

अनुच्छेद ३४३ की तीसरी धारा द्वारा उसके सारे अधिकार छीन लिए हैं। उन्हें वापस लौटाने के लिए संविधान के राजभाषा संबंधी प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत आवश्यक है। ताकि संविधान द्वारा अंग्रेजी को जो अतिरिक्त बढ़ावा प्राप्त हुआ है वह कम हो जाय। हिंदी-कार्यान्वयन को सही रूप में अंजाम देना हो तो सरकार की ओर से यह पहला कदम रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हिंदी-कार्यान्वयन के रथ को सीधे संविधान के परिवर्तित नूतन प्रावधानों के अश्वों द्वारा खींचा जाय। उसकी गति इतनी तेज हो जाय कि दुनिया की नजरें अनायास भारत की विशाल भाषीय क्षमता एवं एकता का सुंदर दृश्य देखकर चकाचौंध हो जाय।

हिंदी-प्रयोग की संभावनाएँ :

कोल्हापुर दूरसंचार तकनीकी अनुभाग होने के कारण अनेक तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, जिनके हिंदी पर्याय सहजता से उपलब्ध नहीं होते। फिर भी इस कार्यालय के अनेक कार्य हिंदी में किए जा सकते हैं। कोल्हापुर दूरसंचार के कुछ महत्त्वपूर्ण अनुभागों के कामकाज का अध्ययन करने के उपरांत निष्कर्षतः परिलक्षित होता है कि सभी अनुभागों का सामान्य पत्राचार हिंदी में करने में कोई कठिनाई नहीं है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पणियाँ लिखने में किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए।

हिंदी में तकनीकी शब्दों के पर्यायी शब्द नहीं मिलते, किंतु प्रशासनिक शब्दों की कोई कमी नहीं है। अतः प्रशासन अनुभाग का सौ प्रतिशत कामकाज हिंदी में करने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। योजना तथा ग्रामीण अनुभागों का साठ से सत्तर प्रतिशत कामकाज हिंदी में किया जा सकता है। कुछ तकनीकी शब्दों को देवनागरी में लिखकर काम किया जा सकता है। निविदा सूचना, निविदा प्रारूप, संकल्प, करार आदि कार्य हिंदी में करने में कोई अड़चन नहीं है।

वाणिज्य तथा अन्य कुछ अनुभागों में नए दूरध्वनि के संज्ञापन पत्र, स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर(Local pco), उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सार्वजनिक टेलीफोन घर(STD pco) आदि से संबंधित कार्य होते हैं। किंतु इन कामों के प्रारूप अंग्रेजी में हैं। उन्हे हिंदी में छापने के पश्चात आसानी से हिंदी में काम किया जा सकता है। इन अनुभागों के अन्य कुछ कामों में कर्मचारियों के सम्मुख यह समस्या खड़ी रहती है कि तकनीकी शब्दों के हिंदी पर्याय उपलब्ध नहीं है। फिर भी इस अनुभाग का सत्तर प्रतिशत कामकाज आसानी से हिंदी में किया जा सकता है।

बिलिंग, राजस्व तथा रोकड़ अनुभाग का अधिकांश काम संगणक पर होता है। संगणक का सॉफ्टवेअर हिंदी में विकसित करने के पश्चात सारे काम हिंदी में किए जा सकते हैं। दूरसंचार के तकनीकी अनुभागों में दूरसंचार की सारी अत्याधुनिक तंत्र-प्रणाली संगणक द्वारा ही संचलित की जाती है। दूरध्वनि की एसटीडी तथा स्थानीय लाइनें, इंटरनेट आदि से संबंधित सारा काम सौ प्रतिशत तकनीकी काम है। इन सारे कामों में भी तकनीकी शब्दों की समस्या है ही। अतः दूरसंचार के तकनीकी पर्यायी शब्दों को गढ़कर बाद में हिंदी सॉफ्टवेअर पर दूरसंचार के लिए आवश्यक संगणकीय कार्यक्रम बनाने पडेंगे।

किंतु इतना सब करने के पश्चात अगर संगणक में हिंदी सॉफ्टवेअर के साथ-साथ अंग्रेजी सॉफ्टवेअर रखा गया तो करीबन सभी लोग अंग्रेजी सॉफ्टवेअर याने संचलन-प्रणाली का उपयोग ही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि आज अधिकांश संगणकों पर हिंदी पैकेज डालकर भी उस पर कहीं भी सामान्य पत्राचार होता हुआ नहीं दिखाई देता। संगणक में मात्र हिंदी सॉफ्टवेअर रखकर उसका उपयोग करना अनिवार्य किया जाएगा तो उसका डटकर विरोध किया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस समय तो तकनीकी अनुभागों में हिंदी में काम असंभव है।इन अनुभागों में फाइलों पर कामकाज न के बराबर होता है। अतः फाइलों पर हिंदी में टिप्पणियाँ लिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी तकनीकी तथा संगणक पर चलनेवाले अनुभागों को छोड़ दे तो भी दूरसंचार का साठ से सत्तर प्रतिशत कामकाज हिंदी में किया जा सकता है। यह बहुत आशादायी प्रतिशत है ।

उपलब्धियाँ :

१. इस लघु शोध-प्रबंध को पढ़नेवाला कोई भी संवेदनशील नागरिक इस देश की राजभाषा हिंदी के प्रति निश्चय ही निष्ठा रखेगा और उसका प्रयोग करने के लिए प्रेरित होगा।
२. हिंदी का संपर्क भाषा या जनभाषा वाला रूप उत्तरोत्तर निखर रहा है। किंतु हिंदी को राजभाषा घोषित करके भी संविधान में राजभाषा के पक्ष में कोई ठोस प्रावधान नहीं है।
३. हिंदी-पत्राचार ही राजभाषा नीति की नींव है।
४. आज हिंदी-पत्राचार की महत्त्वपूर्ण नीति उपेक्षित न रहे, इस बात के प्रति अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
५. हिंदी-कार्यान्वयन की राह में कुछ समस्याएँ ठोस हैं। किंतु अधिकांश हिंदी-प्रयोग टालने के लिए

की गई बहानेबाजी मात्र है।

६. हिंदी-कार्यान्वयन में आनेवाली प्रमुख समस्याएँ हैं-वैधानिक प्रावधान में स्थित विसंगतियाँ, शिक्षा-माध्यम का अंग्रेजी होना, तकनीकी समस्याएँ तथा सरकारी नीतियों में स्थित खोखलापन।

७. हिंदी-कार्यान्वयन की अनेक समस्याओं का समाधान राष्ट्रभाषाभिमान जागृति ही है, जिससे सारी बहानेबाजी रुक जाएगी।

८. हिंदी के समाधानों में-वैधानिक प्रावधानों में सुधार, शिक्षा के ढ़ाँचे में परिवर्तन तथा तकनीकी समस्याओं का निराकरण प्रमुख हैं।

९. जिन तकनीकी शब्दों के हिंदी पर्याय उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करके तथा अन्य अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखकर कोल्हापुर दूरसंचार के प्रशासन अनुभाग का सौ प्रतिशत कामकाज हिंदी में किया जा सकता है।

१०. तकनीकी तथा संगणक पर चलनेवाले अनुभागों को छोड़कर भी कोल्हापुर दूरसंचार का साठ से सत्तर प्रतिशत कामकाज हिंदी में किया जा सकता है।

११. इस लघु शोध-प्रबंध की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि कोल्हापुर दूरसंचार में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में आनेवाली सभी समस्याओं के समाधान को सूचित किया गया है। यदि कोल्हापुर दूरसंचार ने इसकी ओर गौर किया तो राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करने में आसानी होगी।

१२. यह लघु शोध-प्रबंध हिंदी के प्रयोग को लेकर कोल्हापुर दूरसंचार तक ही सीमित है। किंतु इनमें प्रस्तुत की गई समस्याएँ और उनके समाधान अन्य सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी के प्रयोग को लेकर लागू होते हैं। यह इस अनुसंधान की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि में से एक है।

अध्ययन की नई दिशाएँ :

निम्नांकित विषयों पर स्वतंत्र रूप से अनुसंधान किया जा सकता है -

१. महाराष्ट्र परिमंडल, दूरसंचार विभाग में हिंदी का प्रयोग : स्वरूप, समस्याएँ तथा समाधान

२. कोल्हापुर में स्थित सरकारी कार्यालयों में हिंदी-कार्यान्वयन

३. दूरसंचार की तकनीकी शब्दावली के निर्माण की समस्याएँ और समाधान

***